WWW.LIVELAW.IN

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।

मु0अ0सं0–484 / 2020

धारा–3 / 5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 21 सन् 2020)

थाना– कांठ, जनपद मुरादाबाद ।

राज्य बनाम राशिद आदि ।

17–12–2020

उपरोक्त प्रकरण में विवेचक / उपनिरीक्षक मुनेन्द्रपाल द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि थाना कांठ जनपद मुरादाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0–484 / 2020 धारा–3 / 5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 21 सन् 2020) के अभियुक्तगण राशिद पुत्र रजा अली 2. सलीम पुत्र रजा अली नि0 गण मौ0 पटटेगंज कस्बा व थाना कांठ जिला मुरादाबाद को दिनांक 06.12.2020 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जहां से दोनों अभियुक्तगणों को जिला कारागार भेजा गया। विवेचना के मध्य इस अभियोग से सम्बन्धित पीडिता कु0 पिंकी पुत्री रामानन्द सागर ने अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 में मुझ विवेचक से यह कथन किया है कि वह अपना बयान न्यायालय में देगी । न्यायालय में अंकित कराये गये कथन अन्तर्गत धारा–164 दं0प्र0सं में कु0 पिंकी ने बताया कि मैंने मौ0 राशिद पुत्र रजा अली से देहरादून में 24 जुलाई 2020 को शादी कर ली है मैंने अपना निकाह अपनी मर्जी से आजाद कालोनी देहरादून में मस्जिद में किया है । मुझे राशिद के बारे में पहले से ही पता था कि वह मुस्लिम है, मैंने निकाह के वक्त कुरान पढा है । मैंने अपना धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से किया है और अब मैं अपने पति मौ0राशिद के साथ जाना चाहती हूं। अतः पीडिता कु0 पिंकी को उसकी इच्छा के अनुरूप नियमानुसार उसके ससुराली जनों के साथ भेजा जा चुका है। अब तक की विवेचना से जिला कारागार में निरूद्ध अभियुक्तगण 1. राशिद 2. सलीम के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला है,जिसके फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को जिला कारागार में निरूद्ध रखा जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अभियुक्तगण राशिद व सलीम को अन्तर्गत धारा–169 दं0प्र0सं0 में जिला कारागार मुरादाबाद से रिहा करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। पीडिता कु0 पिंकी उपरोक्त बालिग है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी एवं

WWW.LIVELAW.IN

विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा प्रभारी निरीक्षक कांठ, द्वारा संस्तुत किया गया है।

केस डायरी एवं रिमाण्ड प्रपत्रों का परिशीलन करने से स्पष्ट होता है कि केस डायरी के पर्चा नं0–10 में यह अंकित है कि अभियुक्तगण 1. राशिद पुत्र रजा अली 2. सलीम पुत्र रजा अली नि0 गण मौ0 पटटेगंज कस्बा व थानां कांठ जिला मुरादाबाद जिला कारागार मुरादाबाद में निरूद्ध है। इस अभियोग में मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के दौरान कु0 पिंकी पुत्र रामा नन्द सागर उपरोक्त के कथन अन्तर्गत धारा–161/164 दं0प्र0सं0 के उपरान्त जिला कारागार में निरूद्ध अभियुक्तगण 1. राशिद व 2 . सलीम के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले है जिसके फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को जिला कारागार में निरूद्ध रखा जाना न्यायोचित नहीं है। अभियुक्तगण 1.राशिद पुत्र रजा अली 2. सलीम पुत्र रजा अली उपरोक्त को रिहा किये जाने हेतु मा0 न्यायालय में रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–169 दं0प्र0सं0 प्रेषित की जा रही है। विवेचक अभियुक्तगण का अग्रेतर रिमाण्ड नहीं चाहता है। उपरोक्त मामले में विवेचक द्वारा साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण राशिद व सलीम के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–169 दं0प्र0सं0 की रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। अतः मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों में विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ~धारा 169 CrPC~ स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण 1. राशिद पुत्र रजा अली 2. सलीम पुत्र रजा अली निवासीगण मौ0 पटटेगंज कस्बा व थाना कांठ जिला मुरादाबाद को 50,000/–रूपये 50,000/–रूपये का निजी बंधपत्र दाखिल करने पर, यदि वह अन्य किसी केस में वांछित न हों, जिला कारागार से रिहा किया जाये।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुरादाबाद

WWW.LIVELAW.IN